



राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:- प.भ. भण्डार3(1)रिक्वा. वाहन/निरी./अभि/15

जयपुर, दिनांक 16-4-18

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.11.2015 की निरन्तरता में अभियोजन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को निरीक्षण एवं दौरे पर जाने के लिये दिनांक 31.03.2019 तक 08 वाहन किराये पर लिये जाने की सहमति (वर्ष 2018-19 में बीएफसी मीटिंग के कार्यवाही विवरण की स्वीकृति के अनुसार) निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों की पालना करते हुए उपलब्ध बजट प्रावधान से किराये पर लिये जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

1. उप निदेशक अभियोजन संभाग, अजमेर।
2. उप निदेशक अभियोजन संभाग, भरतपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन संभाग, बीकानेर।
4. उप निदेशक अभियोजन संभाग, जयपुर द्वितीय।
5. उप निदेशक अभियोजन संभाग, जोधपुर।
6. उप निदेशक अभियोजन संभाग, कोटा।
7. उप निदेशक अभियोजन संभाग, उदयपुर।
8. सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता) अभियोजन निदेशालय, जयपुर।

राज्यपाल की आज्ञा से
16/4/18
(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्ये कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज. जयपुर
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, राज. जयपुर।
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, संभाग/सहा. निदेशक अभि. (सतर्कता) अभि. निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह